मध्यप्रदेश विधान सभा

जून - अगस्त, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 1991 (श्रावण 7, 1913)

समय 10.30 बजे

1-प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 पटल पर रखेंगे.

3- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्रीमती जयश्री बैनर्जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री ललित जैन, सदस्य, प्रदेश के जबलपुर एवं भोपाल नगर में दूध की किल्लत और भाव वृद्धि की ओर राज्यमंत्री, डेयरी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मनीष कुंजाम, सदस्य बस्तर जिले के अनेक क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों द्वारा हड़पे जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4- याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य -

(क) राजधानी के सरकारी अस्पतालों में "सहकारी संघ" द्वारा दवाओं की दुकान संचालित कराये जाने,

(ख) भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दवाईयों की कमी को दूर कराये जाने,

(ग) भोपाल शहर के थोक एवं फुटकर व्यापारियों की भाव सूची लगाये जाने,

(घ) भोपाल टाकीज चौराहे पर वर्षा कालीन जल संग्रह से होने वाली असुविधा दूर कराये जाने,

(ङ) राजधानी के नलों, ट्यूबवैल तथा हैण्डपंपों से गंदा पानी सप्लाई होने,

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य -

(क) विधान सभा क्षेत्र सीतामऊ के भाऊगढ़ क्षेत्र की शिवना नदी पर बांध बनाये जाने, तथा

(ख) जिला मन्दसौर के ग्राम करजू में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5- शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यमों से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन विधेयक, 1991 (क्रमांक 16 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री सुधाकर बापट, राज्यमंत्री, परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक 1991 (क्रमांक 17 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 18 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

6- अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प.

सर्वश्री रामप्रताप सिंह/जालम सिंह पटेल/कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) ~~विधेयक~~, 1991 (क्रमांक 15 सन् 1991) का अननुमोदन करता है."

(अध्यादेश)

1 घन्टा 30 मिनिट

7-शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे की मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 15 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8- वर्ष 1985-86 की अधिकाई मांगों पर मतदान.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 3, 6, 10, 20, 21, 24, 36, 42, 56, 58, 63, 67 एवं 79 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को सत्तावन करोड़, सन्तानवे लाख, तिरेसठ हजार, एक सौ छियासी रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाये."

15 मिनिट

9-शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 1991 (क्रमांक 13 सन् 1991) का * पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10- वर्ष 1986-87 की अधिकाई मांगों पर मतदान.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनाक 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 6, 20, 24, 30, 58, 61, 63, 67, 69 एवं 73 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को पचहत्तर करोड़, इक्कानवे लाख, इकसठ हजार, आठ सौ उनन्चास रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाये."

15 मिनिट

11- शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) का ** पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये."

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

12- नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

1 घन्टा (1) प्रदेश में खाद्यान्न एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने एवं प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता के संबंध में श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा (2) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को खाद एवं बीज उपलब्ध न हो पाने के संबंध में सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान/ राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल/नन्द किशोर खत्री/ मदन लाल त्यागी सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक 28 जुलाई, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

---

* अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

** अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.